भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3394
(21 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अन्तर्गत महिलाओं हेतु स्वीकृत आवास

3394. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को इस घोषणा के साथ अधिनियमित किया गया था कि इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा लेकिन 1 जनवरी, 2023 तक केवल 26 प्रतिशत आवास ही केवल महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए थे;
(ख) यदि हां, तो महिलाओं के नाम पर आवासों की स्वीकृति कम होने के क्या कारण हैं; और
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास स्वीकृत किए जाएं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के इस समग्र लक्ष्य में से 2.94 करोड़ मकानों का लक्ष्य पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जा चुका है, जिसमें से 2.85 करोड़ मकान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 74,08,086 मकान केवल महिलाओं के नाम से और 1,26,08,673 मकान पति और पत्नी के संयुक्त नाम से अर्थात कुल 2,85,06,054 स्वीकृत मकानों में से 200,16,759 मकान (70%) स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि विधवा/अविवाहित/जीवन साथी से अलग रह रहे/किन्नर व्यक्ति के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मकान का आबंटन या तो महिला के नाम से या पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाएगा।